ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3058/2004/सवाईमधोपुर रामदेव बनाम सुरज्ञान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री सी0पी0पाराशर, अधिवक्ता प्रार्थी।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

––

निर्णय

दिनांक 23–01–20

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील सं0 60/2001 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 07–06–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी ने ने अपने आदेश दिनांक 12–04–2001 द्वारा मूल दावे के निस्तारण तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभय पक्ष को पाबंद किया तथा प्रा0 पत्र बाबत् रिसीवरी को खारिज किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 07–06–2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3058/2004/सवाईमधोपुर रामदेव बनाम सुरज्ञान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रश्नगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने समवर्ती निष्कर्ष में माना कि विवादित आराजी प्रार्थी/वादी की खातेदारी में अंकित है परन्तु प्रार्थी द्वारा भूमि बेचान कर देने के कारण भूमि पर कब्जा अप्रार्थी/क्रेता का होने के कथन को बल मिलता है परन्तु अंतिम रूप से कब्जे बाबत् निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता अर्थात यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान में किसका कब्जा है, ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित आराजी पर रिसीवर कायम करना उचित नहीं समझते हुए उभय पक्ष को मूल दावे के निस्तारण तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित समझा। हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किए गए है, जिसमें हम निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित एवं आवश्यक नहीं समझते है। निगरानी का क्षैत्र सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि वे क्षैत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रस्त हो। प्रश्नगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य हमारे समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	